निर्णय

(आज दिनांक 27.10.2020 को घोषित किया गया)

01. आरोपीगण को **धारा 13 जुआ एक्ट** के तहत अपराध की विशिष्टयॉ पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छया अपराध स्वीकार किया है। अतः उक्त आरोपी को स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्व किया जाता है।

02. आरोपीगण के कृत्य को देखते हुये उन्हे अपराधिक परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना इस न्यायालय के मत मे उचित नही है।

03. आरोपीगण को उनकी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति को देखते हुये धारा 13 जुआ एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 400/- 100-100/- **रूपये** शब्दों में (चार सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 7-7 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा रकम 2950/-रू0 राजसात किया जावे तथा शेष संपत्ति 52 ताश पत्ती, मोमबत्ती मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

जॉजगीर
दिनांक– 27.10.2020

(संतोष कुमारि महोबिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जॉजगीर चांपा छ0ग0